वाहनों का सघन चेकिंग अभियान

कार्रवाई

मंगलवार को वाहनों की चेकिंग करते अधिकारी।

श्रावस्ती,संवाददाता। जिले में तीन जुलाई से पांच जुलाई तक तीन दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में हुई 4102 वाहनों की सघन चेकिंग की गई और 754 वाहनों पर की गई कार्रवाई।

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष और यातायात पुलिस की टीम ने चौराहों, बाजारों एवं संवेदनशील स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4102 वाहनों की जांच की गई। जिसमें काली फिल्म लगे 18 वाहन, हूटर लगे 16 वाहन, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले 82 वाहन, वाहन में अवैध परिवर्तन(बम्फर आदि) में 33 वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 27 वाहन तथा गाड़ियों से बाहर निकले नंबर प्लेट सहित अन्य नियमों के उल्लंघन करने वाले 144 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त 434 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

तीन दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान 4102 वाहनों की जांच, सैकड़ों चालान

काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड वाहनों पर हुई सख्त कार्यवाही

» सद्भावना का प्रतीक

श्रावस्ती। जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक तीन दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया,अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह तथा क्षेत्राधिकारी भिनगा एवं इकौना के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों एवं यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग की।अभियान के दौरान कुल 4102 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 18 काली फिल्म लगे वाहन, 16 हूटर लगे वाहन, 82 प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन, 33 अवैध मॉडिफिकेशन (बम्पर आदि) वाले वाहन, 27 मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन तथा 144 अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा 434 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।

उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा वाहनों में अनधिकृत मॉडिफिकेशन, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।